डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री वीरमाराम, आर.ए.एस.***

अनवान

वादी – 1.आसूगर पुत्र पोलगर , जाति स्वामी
निवासी जाखड़ों का तला (कितनोरिया),
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.पूरणगर 2.ईश्वरगर पि. गोमगर 3.देवगर पुत्र अर्जनगर
4.मोहरा पत्नि अर्जनगर 5.अणसी पुत्री हंसगर 6.कालूगर
पुत्र पोलगर 7.कुम्भगर 8.भोमगर पि.केसूगर 9.नारणगर
10.मलगर 11.ठाकरगर पि.विरमगर 12.कानगर 13.मोहनगर
पि.जेठूगर 14.मीरों पत्नि जेठूगर 15.देवगर पुत्र तुलसगर
16.सूरजगर 17.पुरखगर पि.मूलगर 18.राधा पत्नि भगवानगर
19.राजूगरपुत्र उदगर 20.मोहनगर 21.नैनगर 22.सोनगर पि.
प्रहलादगर, जातियान स्वामी, निवासी जाखड़ों का तला (कितनोरिया)
23.शाखा प्रबन्धक एसबीआई धोरीमन्ना
24.उपपंजीयक एवं तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री फताराम गोदारा
प्रतिवादीगण वकील – श्री वीरमाराम धारासर (प्रतिवादी सं. 1 से 6)

वाद बाबत 88,188 RT Act.

मुकदमा नं. 192/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री फताराम** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री वीरमाराम** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम जाखड़ों का तला, पटवार हल्का कितनोरिया, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 147 रकबा 70.11 बीघा, खसरा सं. 437/435 रकबा 100.00 बीघा के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि के **खसरा सं. 147 रकबा 70.11 बीघा में वादी 1/10 हिस्सा एवं खसरा सं. 437/435 रकबा 100.00 बीघा में वादी को 1/15** का खातेदार घोषित किया जाता है। लगातार शेष पृष्ट पर.............................. बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ...5.12.2019... को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलेक्टर
ओहदा ......चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	/	
मीजान	–	–	–	–	–

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे ......–...... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 192/2018

पीठासीन अधिकारी –श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

अनवान

वादी – 1.आसूगर पुत्र पोलगर , जाति स्वामी निवासी जाखड़ों का तला (कितनोरिया), तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.पूरणगर 2.ईश्वरगर पि. गोमगर 3.देवगर पुत्र अर्जनगर 4.मोहरा पत्नि अर्जनगर 5.अणसी पुत्री हंसगर 6.कालूगर पुत्र पोलगर 7.कुम्भगर 8.भोमगर पि.केसूगर 9.नारणगर 10.मलगर 11.ठाकरगर पि.विरमगर 12.कानगर 13.मोहनगर पि.जेठूगर 14.मीरों पत्नि जेठूगर 15.देवगर पुत्र तुलसगर 16.सूरजगर 17.पुरखगर पि.मूलगर 18.राधा पत्नि भगवानगर 19.राजूगरपुत्र उदगर 20.मोहनगर 21.नैनगर 22.सोनगर पि. प्रहलादगर, जातियान स्वामी, निवासी जाखड़ों का तला (कितनोरिया) 23.शाखा प्रबन्धक एसबीआई धो मन्ना 24.उपपंजीयक एवं तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री फताराम गोदारा
प्रतिवादीगण वकील – श्री वीरमाराम धारासर (प्रतिवादी सं. 1 से 6)

अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 05.12.2019

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 पूर्व पुरूष पोलगर के वारिशान है तथा शेष प्रतिवादी सं. 7 से 22 तक सहखातेदारान होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 6 से इस्तदुआ चाही है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 22 की संयुक्त पैतृक खातेदारी का खेत मौजा जाखड़ों का तला, पटवार क्षेत्र कितनोरिया, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 147 रकबा 70.11 बीघा, खसरा सं. 437/435 रकबा 100.00 बीघा के आये हुए है। वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 22 के नाम दर्ज है।

स्व.पोलगर के 05 पुत्र थे जो क्रमशः गोमगर, आसूगर, अर्जनगर, हंसगर, कालूगर है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के वाल्दि पोलगर के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 ने वादी की उपस्थिति को छिपाते हुए उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में नामान्तरकरण सं. 142 एवं 143

सहायक कलक्टर
चौहटन

पारित करवा दिया , जिसके आधार पर स्व.पोलगर की हिस्सेदारी प्रतिवादी सं. 1 से 5 के वालिद गोमगर, हंसगर, अर्जनगर व प्रतिवादी सं. 6 कालूगर के नाम अंकित हो गई, जबकि वांदी भी स्व.पोलगर का जायन्दा पुत्र है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी के खसरा सं. 147 रकबा 70.11 बीघा में वादी का 1/10 हिस्सा एवं खसरा सं. 437/435 रकबा 100.00 बीघा में वादी का 1/15 हिस्सा खातेदारी में बनता है। जिसे वादी अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस हेतु यह वास्ते खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 से 22 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 22 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ , अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री वीरमाराम धारासर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सीपीसी मय वकालतनामा पेश किया। वकील वादी को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 स्वीकार करने में कोई आपति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया।

वादी वकील ने साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 आसूगर का शपथ पत्र पेश किया । लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में EX-1 जमाबन्दी खसरा सं. 147 मौजा जाखड़ों का तला, EX-2 जमाबन्दी खसरा सं. 437/435 मौजा जाखड़ों का तला, EX-3 नक्शा, EX-4 नामान्तरकरण सं. 142, EX-5 नामान्तरकरण सं. 143 एवं अन्य दस्तावेज Exibit करवाये।

वादी वकील एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के वकील अन्य कोई साक्ष्य, सबूत, जिरह पेश नहीं कर सीधी बहस सुनने का निवेदन किया । जिसे स्वीकार कर उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस में वादी वकील ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा जाखड़ों का तला, पटवार क्षेत्र कितनोरिया, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 147 रकबा 70.11 बीघा, खसरा सं. 437/435 रकबा 100.00 बीघा के आये हुए है। वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 22 के नाम दर्ज है। आराजी के खसरा सं. 147 रकबा 70.11 बीघा में वादी का 1/10 हिस्सा एवं खसरा सं. 437/435 रकबा 100.00 बीघा में वादी का 1/15 हिस्सा खातेदारी में बनता है। जो वादी की खातेदारी में घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर
चौहटन

प्रतिवादी सं. 1 से 6 के वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से पेश इकबालिया जवाब ही उनकी बहस है। वादी को उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 से 6 के साथ संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा जाखड़ों का तला, पटवार हल्का कितनोरिया, तहसील सेड़वा के खसरा सं. 147 रकबा 70.11 बीघा में वादी 1/10 हिस्सा एवं खसरा सं. 437/435 रकबा 100.00 बीघा में वादी को 1/15 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर चौहटन

(वीरमाराम)
सहायक कलक्टर चौहटन
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2020.02.04 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: